

फर्द अहकाम

मीनाल बनाम धारवादी पत्र
 24/09/22 अधिकारी जमवारामगढ़

नाम न्यायालय

केस संख्या 130/2022

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	19/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. के अहकाम के अंतर्गत पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तस्वीर/समाप्त दिनांक <u>23/9/22</u> को पेश हो।</p>
<p>पुरेजात प्रस्ताव के अति लम्बी वाद है अतः मुद्दे को कायम नहीं है। हेमपाल शर्मा साधारण 76416739/01 3306083 0076 (सहायक जज)</p>	<p>23/9/22 24/9/22</p>	<p>जजावली पेश हुई। वकील वादी प्रस्तावित वकील वादी की वदत गार कुरेजात दिनांक 13/9/22 को। वकील वादी व वादी व कुरेजात दिनांक 13/9/22 को। जजावली को मजलैकत दिनांक 24/9/22 को जजावली वादी आदेश हेतु दिनांक 24/9/22 को पेश की। उपर्युक्त अधिकारी जमवारामगढ़</p> <p>जजावली पेश हुई। वकील वादी प्रस्तावित जजावली आदेश के विनापकीत है। जजावली को मजलैकत दिनांक 24/9/22 को वकील को जजावली दिनांक 24/9/22 को जजावली द्वारा जजावली वादी प्रस्तावित दिनांक 53, 188 राजपत्र कार्रकारी आदेश को अनिम रूप से स्वीकार दिनांक जजावली उताविक कुरेजात के जजावली हेतु निर्णय दिनांक 24/9/22 को जजावली वादी दिनांक 24/9/22 को को जजावली निर्णय हेतु दिनांक 24/9/22 जजावली शाकिल दिनांक 24/9/22</p>

फरद आह्वान

निवासी

बनाम

धारी नं०

उपखण्ड अधिकारी

जमवारासगढ़

130/2022

क आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

निजी माल एवं इजलास बनाम
राज्य।

जमावत/ फौजदारी शर्तों के अन्तर्गत
नियंत्रण में रखा है तथा वारंट जारी
आदिबल द्वारा है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारासगढ़



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
0/2022

तारीख दायर
14/10/2022

तारीख फैसला
24/09/2024

सीताराम पुत्र प्रभातीलाल जाति बलाई आयु 40 वर्ष निवासी गुनावता तहसील
आमेर जिला जयपुर जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी हेमपाल मीणा पुत्र गेंदीलाल मीणा
जाति मीणा आयु 40 वर्ष निवासी गुनावता तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

- घासी पुत्र नन्दाराम
मदन पुत्र नन्दाराम
चौथूराम पुत्र मन्नाराम
बाबूलाल पुत्र मन्नाराम
जबरी पत्नि जैलाराम
रामगोपाल पुत्र जैलाराम
हरिनारायण पुत्र जैलाराम
जीतू पुत्र ग्यारसीलाल
धापा पत्नी ग्यारसीलाल
0. राजु पुत्र ग्यारसीलाल
 1. नारायणी पत्नी प्रभात
 2. राधेश्याम पुत्र प्रभात
 3. रामचन्द्र पुत्र प्रभात
 4. रामदयाल पुत्र प्रभात
 5. निशा पुत्री छोटूराम
 6. विजय पुत्र छोटू
 7. संतरा पत्नी छोटूराम
- समस्त जाति रैगर निवासीयान ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
8. मुकेश कुमार पुत्र कानाराम जाति बलाई निवासी बलाईयों की ढाणी, ग्राम नांगल
सुसावतान तहसील आमेर जिला जयपुर।
 9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
 0. उप पंजियक जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।


प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री सूजर शर्मा :- वकील वादी

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

:- निर्णय :-


उपखण्ड अधिकारी

वादी की ओर से एड0 श्री सूरज शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 219 रकबा 0.7208 है0 भूमि है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है। जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादिया का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 06.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रैजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
सीताराम पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/4 जाति बलाई सा0 गुणावता तह0 आमेर, घासी, मदन पि0 नन्दाराम हि0 1/8, चौथूराम, बाबूलाल पि0 मन्नाराम हि0 1/12, जबरी पत्नि जैलाराम, रामगोपाल, हरिनारायण पि0 जैलाराम, हि. 3/32, जीतू, राजू पि0 ग्यारसीलाल हि0 1/48, धापा पत्नि ग्यारसीलाल हि0 1/96, नारायणी पत्नि प्रभात, राधेश्याम, रामदयाल पि0 प्रभात हि0 3/32, निशा पुत्री छोटूराम हि0 1/84, रामचन्द्र पुत्र प्रभात हि0 1/32, विजय पुत्र छोटू हि0 5/336, संतरा पत्नि छोटूराम हि0 5/336 जाति रैगर सा0 देह, मुकेश कुमार पुत्र कानाराम हि0 1/4 जाति बलाई सा0 141 बलाईयों की ढाणी, ग्राम नांगल सुसावतान तह0 आमेर खातेदार।	219	0.7208	चाही 2 0.1012 जाव 0.1897 बारानी ए 0.3415 बारानी 1 0.0884	0.42
योग	किता 1	0.7208	—	0.42

—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
सीताराम पुत्र प्रभातीलाल हि0 1/4 जाति बलाई सा0 गुणावता तह0 आमेर खातेदार	219/1	0.1100	चाही 2 0.1012 जाव 0.0088	—
योग	किता 1	0.1100	—	—

रूपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

3/3

घासी, मदन पि० नन्दाराम हि० 901/6108, चौथूराम,	219/2	0.1700	जाव	-
बाबूलाल पि० मन्नाराम हि० 601/6108, जबरी पत्नि,	219/3	0.4408	0.1809	-
जैलाराम, रामगोपाल, हरिनारायण पि० जैलाराम, हि.			बारानी ए	
676/6108, जीतू राजू पि० ग्यारसीलाल, धापा पत्नि			0.3415	
ग्यारसीलाल हि० 225/6108, नारायणी पत्नि प्रभात,			बारानी1	
रामचन्द्र, राधेश्याम पुत्र प्रभात हि० 901/6108, विजय			0.0884	
पुत्र छोटू हि० 107/6108, सन्तरा पत्नि छोटूराम हि०				
107/6108, निशा पुत्री छोटूराम हि० 86/6108, जाति				
रैगर सा०देह, सीताराम पुत्र प्रभातीलाल हि०				
702/6108 जाति बलाई सा० गुणावता तह० आमेर,				
मुकेश कुमार पुत्र कानाराम हि० 1802/6108 जाति				
बलाई सा०141. बलाईयों की ढाणी, ग्राम नांगल				
सुसावतान तह० आमेर खातेदार				
योग	किता 2	0.6108	-	-

क्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही एवं प्रतिवादीगण को हुकम इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

र्णय आज दिनांक 24/09/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ
जमवारामगढ